रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-103/2026/1866/22-2-2023-17(755)/2023

लखनऊ: दिनांक: 29 जनवरी, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, बदायूँ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी रामबेटी (बन्दी संख्या-623/2019) पत्नी श्री शेरसिंह, ग्राम-सेहा, थाना-उसावा, जनपद-बदायूँ का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-13/2013 में भा0द0वि0 की धारा-304बी, 498ए व 3/4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-02, बदायूँ के दण्डादेश दिनांक 07.11.2019 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 19.01.2021 द्वारा 10 वर्ष के कारावास को लघुक्त करते हुए 07 वर्ष के कारावास में परिवर्तित किया गया, बन्दी की 72 वर्ष की आयु, महिला बंदी द्वारा दिनांक 23.08.2022 तक अपरिहार 02 वर्ष 01 माह 20 दिन तथा सपरिहार 02 वर्ष 05 माह 26 दिन की भोगी गयी सजा, सन्तोषजनक जेल आचरण, महिला बन्दी की 72 वर्ष से अधिक आयु संतोषजनक जेल आचरण, महिला बन्दी की वृद्धावस्था तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त दयायाचिका समिति द्वारा की गयी संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार

उप सचिव।

संख्या-103/2026/1866(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0।

2- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।

3- पुलिस अधीक्षक, बदायूँ।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, बदायूँ।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in